टीएचडीसी इंण्डिया लिमिटेड
{भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम}
THDC INDIA LIMITED
(A Joint venture of Govt. of India & Govt. of U.P.)
Bhagirathi Bhawan, By- pass Road, Pragatipuram
Rishikesh-249201

संख्या: THDC/RKSH/CHR-Estt/EPS-95/2023/2387 **दिनांक:** 29.03.2023

परिपत्र

विषय: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04 नवम्बर 2022 के आदेश एवं ईपीएफओ मुख्यालय के दिनांक 20.02.2023 के आदेश के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत उच्च पेंशन हेतु "संयुक्त विकल्प प्रपत्र (Joint Option Form)" का ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण।

संदर्भ:

1. THDCIL परिपत्र संख्या THDC/RKSH/CHR-Estt/EPS-95/2023/1994 दिनांक 16.01.2023
2. THDCIL परिपत्र संख्या THDC/RKSH/CHR-Estt/EPS-95/2023/2150 दिनांक 13.02.2023
3. EPFO मुख्यालय आदेश संख्या Pension/2022/56259/16541 दिनांक 20.02.2023
4. THDCIL परिपत्र संख्या THDC/RKSH/CHR-Estt/EPS-95/2023/2246 दिनांक 01.03.2023

1. हमारे नवीनतम परिपत्र संख्या THDC/RKSH/CHR-Estt/EPS-95/2023/2246 दिनांक 01.03.2023 के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि EPS-1995 के पात्र सदस्यों को EPFO की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से आवेदन करना होगा तथा वे EPS-1995 के अंतर्गत उच्च पेंशन के लिए अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

संयुक्त विकल्प प्रस्तुत करने हेतु EPFO वेबसाइट पर निम्न लिंक उपलब्ध है:
www.epfindia.gov.in → Services → For Employees → Member UAN/Online Service (OCS/OTCP) → Pension on Higher Salary: Exercise of Joint Option under Para 11(3) and Para 11(4) of EPS-95
यह विकल्प **03 मई 2023** तक प्रयोग किया जा सकता है।
सीधे आवेदन हेतु लिंक:
https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberInterfacePohw/

(संयुक्त विकल्प हेतु आवेदन करने के लिए)

2. ऑनलाइन संयुक्त विकल्प प्रपत्र जमा करते समय EPFO द्वारा निम्न दस्तावेज अपलोड करने के लिए कहा गया है:

(क) EPF योजना, 1952 के पैरा 26(6) के अंतर्गत अनुमति प्रमाणपत्र (PDF फाइल, अधिकतम 250 KB)।

यदि कर्मचारी का वेतन EPF की वैधानिक सीमा ₹5000 से अधिक था तथा वह 01.06.2001 से पूर्व सदस्य बना था, तो नियोक्ता एवं कर्मचारी द्वारा विधिवत भरा गया संयुक्त घोषणा पत्र अपलोड करना होगा।
पैरा 26(6) के अंतर्गत अनुमति प्रमाणपत्र के स्थान पर अनुपालन प्रमाणपत्र का प्रारूप **अनुलग्नक-A** में संलग्न है।

(ख) EPF योजना, 1952 के पैरा 26(6) के अंतर्गत अनुमति प्रमाणपत्र (PDF फाइल, अधिकतम 250 KB)।

यदि कर्मचारी का वेतन EPF की वैधानिक सीमा ₹6500 से अधिक था तथा वह 01.09.2014 से पूर्व सदस्य बना था, तो नियोक्ता एवं कर्मचारी द्वारा विधिवत भरा गया संयुक्त घोषणा पत्र अपलोड करना होगा। पैरा 26(6) के अंतर्गत अनुमति प्रमाणपत्र के स्थान पर अनुपालन प्रमाणपत्र का प्रारूप **अनुलग्नक-B** में संलग्न है।

(ग) दस्तावेजी प्रमाण जैसे खाता विवरण (Account Slip), पासबुक के पृष्ठ आदि (PDF फाइल, अधिकतम 250 KB)।

(i) जिन कर्मचारियों ने मार्च 2023 तक अपनी पीएफ राशि नहीं निकाली है, वे FMS से पीएफ विवरण डाउनलोड करके EPFO के उक्त पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं।

(ii) पूर्व कर्मचारी जिनके THDCIL EPF ट्रस्ट खाते में मार्च 2023 तक पर्याप्त पीएफ शेष राशि उपलब्ध नहीं है, वे “NO” विकल्प चुन सकते हैं, क्योंकि सेवानिवृत्ति/पृथक्करण के समय उनके खाते का निपटान किया जा चुका है। ऐसे मामलों में आवश्यक अंशदान जमा करने हेतु पृथक घोषणा-पत्र भी देना पड़ सकता है।

*(घ) सदस्य द्वारा अंशदान तथा उस पर देय ब्याज जमा करने का घोषणा-पत्र (PDF फाइल, अधिकतम 250 KB)।इस हेतु प्रारूप **अनुलग्नक-C** में संलग्न है, जिसे आवश्यक विवरण भरकर EPFO वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।*

टीएचडीसी इंण्डिया लिमिटेड
{ भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपकम }
THDC INDIA LIMITED
(A Joint venture of Govt. of India & Govt. of U.P.)
Bhagirathi Bhawan, By- pass Road, Pragatipuram
Rishikesh-249201

3. संयुक्त विकल्प प्रपत्र भरने वाले सदस्य ऑनलाइन आवेदन के दौरान उपलब्ध सभी घोषणाओं एवं प्रतिज्ञापत्रों को सावधानीपूर्वक पढ़ें।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पैरा 26(6) के अंतर्गत अनुमति प्रमाणपत्र (अनुलग्नक-A एवं B) की स्वीकृति EPFO के विवेकाधिकार पर निर्भर होगी तथा EPFO द्वारा जारी भावी स्पष्टीकरण एवं परिपत्र भी लागू होंगे।

4. EPFO वेबसाइट के अनुसार संयुक्त विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 03.05.2023 **तक बढ़ा दी गई है।**

किन्तु उच्च वेतन पर पेंशन प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करने के पश्चात प्रत्येक आवेदन का सत्यापन एवं अनुमोदन नियोक्ता (THDCIL) द्वारा किया जाना है। कार्य की मात्रा तथा EPFO पोर्टल पर संभावित अधिक भार को देखते हुए यह प्रक्रिया समय लेने वाली है।

अतः वर्तमान कर्मचारियों तथा पूर्व कर्मचारियों (सेवानिवृत्त/अधिवार्षित/पृथक) से अनुरोध है कि वे अपना संयुक्त विकल्प प्रपत्र **15.04.2023** तक या उससे पूर्व जमा कर दें, ताकि EPFO पोर्टल पर ऑनलाइन प्रक्रिया समय पर पूर्ण की जा सके।

5.अंशदान जमा करने की प्रक्रिया तथा पेंशन की गणना की विधि EPFO परिपत्र संख्या Pension/2022/56259/16541 दिनांक 20.02.2023 **के अनुसार बाद में पृथक परिपत्र द्वारा सूचित की जाएगी।**

6.संबंधित दस्तावेज (अनुलग्नक-A, B एवं C) वर्तमान कर्मचारियों के लिए THDCIL इंट्रानेट तथा पूर्व कर्मचारियों के लिए THDCIL सेवानिवृत्त कर्मचारी पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

7.यह स्पष्ट किया जाता है कि ऑनलाइन संयुक्त विकल्प प्रपत्र जमा करने मात्र से किसी सदस्य को बढ़ी हुई पेंशन का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है, क्योंकि EPS-95 के अंतर्गत पेंशन स्वीकृत/संशोधित/भुगतान करने का अधिकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के पास है।

8.कर्मचारियों एवं पूर्व कर्मचारियों की सहायता के लिए EPFO पोर्टल पर संयुक्त विकल्प आवेदन करने संबंधी दिशा-निर्देश भी इस परिपत्र के साथ संलग्न किए गए हैं।

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

(आई. टिग्गा)
अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन)

वितरण: मानक सूची के अनुसार (ई-ऑफिस के माध्यम से) ।

1. सभी कर्मचारी / पूर्व कर्मचारी।
2. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) के तकनीकी सचिव / निदेशक (वित्त) के तकनीकी सचिव / निदेशक (कार्मिक) के तकनीकी सचिव / निदेशक (तकनीकी) के तकनीकी सचिव।
3. सभी परियोजना प्रमुख / विभागाध्यक्ष / स्थान प्रभारी: अधीनस्थ कर्मचारियों तक सूचना के प्रसार हेतु।
4. महाप्रबंधक (आईटी): इस परिपत्र को टीएचडीसीआईएल वेब पोर्टल तथा पूर्व कर्मचारियों के लिए सुपरएनुएशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
5. अपर महाप्रबंधक (वित्त) / सचिव, टीएचडीसीआईएल ईपीएफ ट्रस्ट।
6. सभी यूनियनें / एसोसिएशन।
7. सभी सूचना पट्ट / कार्यालय आदेश फाइल।